UPGK010051122026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2230/2026

हरिशंकर जायसवाल पुत्र राजेन्द्र जायसवाल, उम्र 50 वर्ष
निवासी रामपुरा बाजार, थाना झंगहा, जनपद गोरखपुर।
हाल मुकाम–शाहपुर नारायण नगरी, थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं0–140/2026
धारा–305(a),331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–खोराबार, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदक/अभियुक्त हरिशंकर जायसवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अपराध सं0–140/2026 धारा–305(a),331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना–खोराबार जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त कथन यह है कि वादी मुकदमा राकेश वर्मा निवासी खोराबार थाना–खोराबार, जनपद–गोरखपुर है। वादी का रिया ज्वेलर्स जो सूबा बाजार मार्केट में स्थित है प्रतिदिन की भांति दुकान बंद करके घर चले जाते है। दिनांक 02.04.2026 को करीब सुबह पौने नौ बजे जब दुकान खोलने आया तो शटर कटा हुआ एवं अन्दर जाने पर देखा कि लाकर का भी ताला कटा हुआ है जिससे दुकान से सोने चाँदी के जेवरात गायब है। दुकान पर हुए घटना से काफी लोग इकट्ठा हुए एवं दुकान में लगा CCTV में देखा गया तो यह घटना 3 बजकर तीन मिनट से 3 बजकर 48 मिनट तक चोर चोरी करके निकल गया है। इस तरह से मेरे दुकान में सोने एवं चांदी का कोई भी सामान नहीं बचा तथा कुछ दुकान से सम्बन्धित बिल बाउचर था वह भी नहीं है। सोने चांदी के सामान भी लिस्ट अलग से संलग्न कर रहा है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है अभियोजन द्वारा लगाया असत्य एवं निराधार है। प्रार्थी को मात्र हैरान व परेशान करने की नीयत से उपरोक्त मुकदमे में फर्जी ढंग से अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जैसा कि अभियोजन द्वारा कहा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी नामजद अभियुक्त नहीं दौरान विवेचना प्रार्थी को उक्त मुकदमे में फर्जी ढंग अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई स्वतन्त्र एवं

निष्पक्ष स का नाम नहीं अंकित है। कथित फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है प्रार्थी की गिरफ्तारी रामनगर कड़जहा फोरलेन के नीचे भजा रही है जहां पर काफी दुकाने है तथा काफी भीड़ ऐसे में प्रार्थी की कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के ज कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी का नाम नहीं है। प्रार्थी दिनांक 16.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा वादी के दुकान का शटर काटकर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात की चोरी किया है तथा पुलिस बल द्वारा जब आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. वर्तमान मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी के दुकान का शटर काटकर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात की चोरी करने का अभिकथन है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी का भी कोई स्वतंत्र साक्षी नामित नहीं किया गया है। मामले में विवेचना अब कोई शेष नहीं है तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रकार कोई साक्ष्य संकलन किया जाना शेष नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 16.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त हरिशंकर जायसवाल द्वारा मु0–25,000/–(पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विचारण में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।

3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,

4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा एवं अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांकः 03.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.03 16:38:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court